

२७ के० गुप्ता  
व्यापिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला सिविल कोर्ट

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता।

अभियुक्त अनाहूत।

प्रकरण अभियुक्त की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परकाम्य लिखित (संशोधन) अधि० 2015 जो दिनांक 26.12.2015 को प्रकाशित किया गया एवं दिनांक 15.06.15 से लागू किया गया। के अधीन परकाम्य लिखित अधि० की धारा 142 में उपधारा 2 एवं उसके पश्चात् धारा 142 ए जोड़ी गयी है। जिसके अनुसार—

### 3. Amendment of section 142.

In the principal Act, section 142 shall be numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2) The offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction,—

(a) if the cheque is delivered for collection through an account, the branch of the bank where the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account, is situated; or

(b) if the cheque is presented for payment by the payee or holder in due course, otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawer maintains the account, is situated.

**Explanation.**— For the purposes of clause (a), where a cheque is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then, the cheque shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account.”.

उपरोक्त प्रावधान के आधार पर प्रस्तुत मामले में परिवादी का बैंक गोहद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है बल्कि जिला ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसे में इस न्यायालय को उक्त मामले में सुनवाई की अधिकारिता नहीं रह जाती है। न्यायदृष्टांत ब्रीजस्टोन इण्डिया प्राईवेट लि. विरुद्ध इन्द्रपाल सिंह, (2016) 2 एस.सी.सी. 75 निर्णय दिनांक 24.11.2015 में परकाम्य लिखत (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 की धारा 142ए का अर्थान्वयन करते हुए यह विधि प्रतिपादित की है कि यह संशोधन भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव रखता है अर्थात् 15 जून, 2015 के पहले जो परिवाद पेश हुए हैं या लंबित हैं उन पर भी यह संशोधन लागू होगा। इस कारण से यद्यपि मजिस्ट्रेट, गोहद न्यायालय, गोहद, 660 Pg.115 में संशोधन होने के पूर्व प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में न होने से उसे संशोधन अधि० के द्वारा परकाम्य



Witness No. \_\_\_\_\_

लिखित अधि० में जोड़ी गयी धारा 142 ए के प्रभाव से अंतरण किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रकरण को मूलतः क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालय को मान० जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से

अनुरोध पत्र के माध्यम से वापस भेजा जावे।

परिवादी अधिवक्ता श्री गुप्ता ने निवेदन किया कि वे स्वयं परिवाद पत्र मय दस्तावेज प्राप्त कर मूलतः सक्षम न्यायालय में पस्तुत कर देंगे। अतः उनके निवेदन पर मूलतः परिवाद, न्यायशुल्क व मूल दस्तावेज प्रदान किए जावें, पावती आदेश पंजी पर ली जावे, छायाप्रति संलग्न की जावे।

परिवादी परिवादपत्र में संलग्न मूल दस्तावेज वापस प्राप्त कर उनके स्थान पर सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ताकि मूल दस्तावेज खोने की संभावना न रहे। साथ ही प्रस्तुत न्यायशुल्क का मूल्य परिवादपत्र के प्रथम पृष्ठ पर मय अंतरण का कारण पृष्ठांकित किया जावे।

परिवादी मूल दस्तावेजों सहित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले उपरोक्त जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिनांक 23.12.16 को उपस्थित रहे।

प्रकरण का परिणाम न्यायालय के पंजी में दर्जकर शेष पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

(A.K. Gupta)  
Judicial Magistrate, First C  
Gohad distt. Bhind (M.P.)